श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आसींद

2011/00042

राजस्व प्रथम अपील संख्या 21/2011

21/11
2011/00168

अपीलान्टस = जोराराम वगैरह

बनाम ~~कालाराम वगैरा~~

रेस्पोन्डेन्टस =

U/S 75 RLR Act

वकील अपीलान्टस

प्रताप सिंह राठौड़
अमर सिंह ...
एडवोकेट्स
अर्जुन सिंह राठौड़
घेवर राम विश्नोई
एडवोकेट

वकील रेस्पोन्डेन्ट

2/8/17
25/10/17
27/12/17
14/12/16
25/1/17
1/3/17
27/3/17
3/5/17
5/7/17

9/9/13
7/10/13
18/11/13

6/1/14
17/9/14
3/1/15
26/5
23/6
5/8
7/10
9/12
1/3/15
7/4/15
17/6/15
16/9/15
26/10/15
30/11/15
11/1/16
8/2/16
12/4/16
13/6/16
4/12/18
10.2.19
5/8/19
22/10/19

31/1/18
21/3/18
4/4/18
16/5/18
10/9/18

25/7
5/9/1
21/10
19/12
9/1/12
27/2/1
23/4/12
25/6/1
6/8/12
8/10/12
12/11/12
14/1/13
11/3/13
6/5/13
8/7/13

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

12.9.19	[illegible] पेशी [illegible] ...को पेश हो । आज्ञा है ।
5.12.18	पत्रावली पेश हुई । ग्राम व तहसील अधिकारी [illegible] अवकाश पर [illegible] कार्यों में व्यस्त होने [illegible] पेशी इत्तला की जाकर [illegible] निर्णय 18.2.19 ...को पेश हो । आज्ञा है ।
18-2-19	पत्रावली पेश हुई । [illegible] अधिकारी [illegible] अवकाश [illegible] व्यस्त होने [illegible] पेशी इत्तला की [illegible] निर्णय 27.5.19 ...को पेश हो । आज्ञा है ।
[illegible]	पत्रावली पेश हुई । ग्राम [illegible] अधिकारी [illegible] अवकाश [illegible] होने [illegible] पेशी इत्तला की जाकर [illegible] निर्णय 5/8/19 ...को पेश हो । आज्ञा है ।
[illegible]	पत्रावली पेश हुई । ग्राम पटवार/तहसील अधिकारी [illegible] अवकाश [illegible] कार्यों में व्यस्त होने [illegible] पेशी इत्तला की जाकर [illegible] निर्णय 22/10/19 ...को पेश हो । आज्ञा है ।
22/10/19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित पत्रावली वास्ते इन्तजार रेकर्ड हेतु दिनांक 30/10/19 को पेश हो।
30-10-19	पत्रावली पेश हुई वकील अपिलान्ट उप० पत्रावली में अपील [illegible] नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न है इसलिए [illegible] पत्रावली [illegible] अपीलान्ट [illegible] अपीलान्ट [illegible] के निर्णय पूर्वक से लिखवाकर सुनाया। बाद पत्रावली फैसला शुदा होकर दफ्तर दाखिल हो।

[illegible] (stamp)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय श्री सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रथम अपील संख्याः–21/2011

अपीलांट्सः–

1. जोराराम पुत्र किसनाराम
2. घमण्डाराम पुत्र किसनाराम
3. रेवता पुत्र किसनाराम
4. जैना पुत्र किसनाराम
5. राणीदान पुत्र किसनाराम फौत के कायम मुकाम
   5/1 खेताराम पुत्र राणीदान
   5/2 कालुराम पुत्र राणीदान
   5/3 चम्पा देवी पत्नी राणीदान
   जातियान सुथार निवासीगण ग्राम तापू
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्सः–

1. कालू पुत्र हरचन्द कौम आचार्य नाऔलाद फौत
2. मालाराम पुत्र रूगाराम
3. पेमाराम पुत्र रूगाराम
4. भगाराम पुत्र रूगाराम
5. भैराराम पुत्र रूगाराम
   जातियान आचार्य निवासी ओवण वालों की ढाणी तापू
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
6. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत तापू।

उपस्थित –

अपीलान्ट्स – अधिवक्ता श्री अमरसिंह भाटी।

रेस्पोडेन्ट्स– अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

–::निर्णय::–

दिनांक..............

अपीलान्ट्स द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट, नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 10.10.1974 ग्राम पंचायत तापू एवं म्यूटेशन संख्या 325 विरासत दिनांक 20.02.2011 ग्राम पंचायत तापू द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध इस आशय की प्रस्तुत की गई कि– खसरा नम्बर 782 रकबा 61 बीघा 08 बिस्वा ग्राम तापू में आयी हुई है उक्त भूमि अपीलान्ट्स के द्वारा खरीद सुदा है। जिसमें रेस्पोडेन्ट कालुराम का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। उक्त भूमि में आधे हिस्से की भूमि का बेचान अपीलान्ट द्वारा कभी भी नहीं किया गया। यह बेचान फर्जी व कूटरचित है। फर्जी बेचान के आधार पर म्युटेशन स्वीकार किया गया है। म्युटेशन के कॉलम नम्बर 14 में 3 रूपये के स्टाम्प पर बेचान बताया गया है जो अनरजिस्टर्ड बेचान है तथा इसमें यह अंकित नहीं किया गया कि जमीन कितने रूपये में बेचान की गई तथा किसके द्वारा की गई। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलान्ट ने कोई बेचान नहीं किया तथा न ही ग्राम पंचायत के समक्ष कोई बेचान नामा पेश किया गया। बिना बेचान नामे के ही म्युटेशन स्वीकृत कर दिया गया। इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त योग्य है। म्युटेशन स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्ट्स खातेदार को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। हल्का पटवारी व कालूराम ने मिलकर म्युटेशन स्वीकृत किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। उक्त म्युटेशन पंचायत की बैठक में पास नहीं हुआ है न ही स्वीकार हुआ है। केवल सरपंच ने अकेले ने ही यह म्युटेशन स्वीकृत कर दिया है। उक्त म्युटेशन पर पंचायत की पूर्ण सहमति नहीं थी। इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त योग्य है। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 20. 03.1974 को म्युटेशन भरकर पेश किया गया जबकि सरपंच द्वारा इसे 10.10.1974 को स्वीकार करना बताया। जबकि 45 दिन से अधिक समय गुजर जाने के बाद ग्राम पंचायत को म्युटेशन पास करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है तथा बिना क्षेत्राधिकार पर म्याद बिन्दु लागू नहीं होता है [illegible] इस आदेश को कभी भी [illegible] आधार पर निरस्त किया जा सकता है। [illegible] के आधार पर भूमि का कोई स्वीकृत होना बताया गया है। अनरजिस्टर्ड बेचान के आधार पर भूमि का कोई हस्तान्तरण नहीं माना जायेगा। लिखने का तात्पर्य यह है कि अनरजिस्टर्ड बेचाननामा के आधार पर कोई हक अधिकार कब्जा नहीं माना जायेगा। म्युटेशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, पो...

Scanned by CamScanner

करने से कब्जे की कोई जांच नहीं की गई। जबकि मौके पर अपीलान्ट्स की ढाणियां बनी हुई है। मौके पर अपीलान्ट्स का निर्विवाद कब्जा व काश्त चला आ रहा है। कालुराम रेस्पोडेन्ट अविवाहित लाऔलाद फौत हो गया था। उसके कोई उतराधिकारी नहीं थे परन्तु उसकी मृत्यु के 15 साल बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 गलत उतराधिकारी बनकर अपने नाम म्युटेशन संख्या 325 भरवा लिया। इसलिए उक्त म्युटेशन निरस्त योग्य है। अपीलान्ट द्वारा हल्का पटवारी के पासजाने पर दिनांक 30.03.2011 को अपना खाता दिखाने पर अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी हुई। जिला कलेक्टर रेकर्ड से उक्त म्युटेशन की नकल का आवेदन कर दिनांक 04.04.2011 को नकल प्राप्त की तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को उपरोक्त म्युटेशनों की जानकारी हुई उसके बाद कानूनी सलाह लेकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की जा रही है जो अन्दर म्याद पेश है। धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर म्युटेशन संख्या 235 दिनांक 10.10.1974, म्युटेशन संख्या 325 दिनांक 20.01.2011 जो ग्राम पंचायत तापू द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

यह है कि अपील अपीलान्ट्स दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया। रेस्पोडेन्ट्स दिनांक 23.04.2012 को बेवजह अनुपस्थित जिनके विरूद्ध गैरहाजरी दर्ज की गई।

यह है कि अपीलान्ट्स अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण 3 रूपये के स्टाम्प पर अनरजिस्टर्ड बेचान नामे के आधार पर दर्ज किया गया तथा अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर देने का भी कोई उल्लेख नहीं है तथा 45 दिन बाद ग्राम पंचायत द्वारा म्युटेशन स्वीकृत किया गया तथा मौके पर कब्जे बाबत् जांच भी करने का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार अनरजिस्टर्ड बेचान नामे के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण में बेचान बाबत् [illegible] लेख नहीं किया है। इसलिए इस प्रकार के नामान्त[illegible] नहीं है तथा धारा 5 में भी देरी कारण भी सशपथ पत्र ब[illegible]ने का कोई कारण पत्रावली पर नहीं है तथा म्युटेशन संख्या 325 कालुराम के [illegible]धिक उतराधिकारियों की जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

किये बिना भरा गया है इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज योग्य है। उक्त नामान्तरकरण बाबत् जांच की जानी आवश्यक है।

—::आदेश::—

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 10.10.1974 व नामान्तरकरण संख्या 325 दिनांक 20.02.2011 जो ग्राम पंचायत तापू द्वारा स्वीकृत किये गये को निरस्त किया जाकर तहसीलदार ओसियां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त बेचान नामा पक्षकारान से तलब किया जाकर पक्षकारान को समूचित सुनवाई का अवसर देने के बाद मौका रिपोर्ट तलब की जाकर खातेदार कालूराम के विधिक उतराधिकारियों की जांच की जाकर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावें। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को लिखा जावें।

न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां जिला जोधपुर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां
सहायक कलेक्टर ओसियां

आज दिनांक 30/10/19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां जिला जोधपुर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां
सहायक कलेक्टर, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner